प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 03.02.2026

दबिश के दौरान 06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में *थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 05 वारण्टी नाम पता 1. निजामुद्दीन पुत्र सेराजुद्दीन 2. सज्जाउद्दीन पुत्र सेराजुद्दीन 3. रुपनारायन उर्फ सूफन पुत्र जीनक 4. अनिल कुमार पुत्र जोखू प्रसाद 5. मनीष पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मूड़ाडीहा बेग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 दीपनारायन शर्मा, का0 रंजन कुमार सिंह, म0का0 पूजा जायसवाल।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता 1.प्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र भागीरथी निवासी सिकरी उर्फ अमहवा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, का0 अमित यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6885 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6885 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत समदा चौराहा से कालर द्वारा दो मोटरसाईकिलों के आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों (1.शिवा पुत्र महेन्द्र 2.गुड़िया पत्नी जितेन्द्र निवासीगण रुधौली थाना जनपद बस्ती 3.मनोज पुत्र विद्या 4.राकेश पुत्र सुबाष निवासीगण धानी बाजार जनपद सिद्धार्थनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 भीम सिंह यादव, आ0 रोहित पाण्डेय, हो0चा0 अखिलेश सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 158 वाहनों से 1,94,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 148 वाहनों से 1,94,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 08 माह के कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 03.02.2026 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 08 माह के कारावास व 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा एसएचओ श्री बब्लन यादव द्वारा अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा पुत्र अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा निवासी कैलाशनगर आरटीओ कार्यालय जनपद संतकबीरनगर को 3.5 किग्रा नाजायज गाँजा, एक अदद पेचकश, दो अदद विभिन्न प्रकार के चाभियों का गुच्छा बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री ब्रजेश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 051/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा पुत्र अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा निवासी कैलाशनगर आरटीओ कार्यालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 08 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा।